

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

संख्या-01

दशम् (शीतकालीन) सत्र

सोमवार, दिनांक-19 दिसम्बर, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाहन से 12.00 बजे मध्याह्न तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीशतः माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर साहेबगंज में राबिका पहाड़िया के हत्यारों को सजा दिलाने की माँग करने लगे जिससे भारी शोरातुल होने लगा, लेकिन प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अशोषनीय व्यवहार किये जाने पर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।)

1. अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र के शुभारम्भ पर आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए हाल ही में हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात में विजयी सत्तारुढ़ दलों को सदन के माध्यम से शुभकामनायें प्रेषित की गयी। इसके उपरांत आहूत वर्तमान सत्र के दौरान कुल-05 बैठकों में निष्पादित होनेवाले कार्य विवरणी का उल्लेख किया गया।

राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना के सम्बन्ध में प्रायोगिक तौर पर अवगत कराने और भविष्य की नई राह तैयार करने के लिए आयोजित छात्र-संसद का भी जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया साथ ही आहूत वर्तमान लघु सत्र का ईमानदारी से निष्ठापूर्वक माननीय सदस्यगण कर सकेंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने किया, इसके अतिरिक्त पंचम् झारखण्ड विधान सभा की शेष अवधि का भी सभी माननीय सदस्य सदुपयोग कर सकेंगे, ऐसी भी उम्मीद उन्होंने जतायी और पुनः एक बार सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया।

2. सभापति तालिका की घोषणा:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र के निमित्त निर्मांकित माननीय सदस्यों को सभापति मनोनीत किया गया-

श्री स्टीफन मराण्डी	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स०वि०स०
श्रीमती सीता मुर्मू	स०वि०स०
श्री बिरची नारायण	स०वि०स० एवं
श्रीमती सबिता महतो	स०वि०स०।

कृष्ण पृष्ठा

3. कार्य-मंत्रणा समिति का गठन:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-224(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र के निमित्त कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया-

श्री रबीन्द्रनाथ महतो	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री आलमगीर आलम	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
श्री सत्यानन्द भोक्ता	मंत्री	सदस्य
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
श्री सुदेश कुमार महतो	स०वि०स०	सदस्य
श्री सरयू राय	स०वि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चम्पाई सोरेन	मंत्री
डॉ० रामेश्वर उराँव	मंत्री
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक (सत्तापक्ष)
श्री स्टीफन मराण्डी	स०वि०स०
श्री लोबिन हेम्ब्राम	स०वि०स०
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	स०वि०स०
श्री प्रदीप यादव	स०वि०स०
डॉ० सरफराज अहमद	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स०वि०स०
श्रीमती अपर्णसिन गुप्ता	स०वि०स०
श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०
श्री कमलेश कुमार सिंह	स०वि०स० एवं
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स०वि०स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे तदुपरांत आसन द्वारा संसूचित किया गया कि सदन की कार्यवाही के तुरत बाद उनके कार्यालय कक्ष में उक्त समिति की बैठक होगी जिसमें समिति के सभी माननीय सदस्यों से उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया गया।

4. औपचारिक कार्यः-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पट्टल पर रखी गयी जिसपर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम् झारखण्ड विधान सभा के नवम् (माँसून) सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है-

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति विधेयक की विवरणी:-

क्रमांक	अनुमति विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम की संख्या
01	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2022	05.08.2022	07/2022

02	झारखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022	13.09.2022	08/2022
03	अजीम ग्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022	19.09.2022	09/2022
04	कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2022	19.09.2022	10/2022
05	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022	19.09.2022	11/2022
06	पंडित रघुनाथ मुर्म जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022	20.09.2022	12/2022

5. कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन पंचम झारखण्ड विधान सभा के नवम् (मॉनसून) सत्र में विभिन्न विषयों पर भरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6. शोक-प्रकाशः-

विगत सत्र से अब तक के अन्तराल में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गये जिनमें पूर्व राज्यपाल, सैयद सिब्ते रजी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, झारखण्ड विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष, डॉ० सबा अहमद, पूर्व मंत्री, समरेश सिंह, पूर्व कृषि मंत्री, देवीधन बेसरा, पूर्व विधायक, मोहरिल मुर्म, रजनीश आनंद एवं आरुण कुमार बोस, जे.पी.एस.सी. के पूर्व अध्यक्ष, अमिताभ चौधरी, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल, धनिकलाल मण्डल, पूर्व मंत्री, शमशेर जंग बहादुर सिंह, पूर्व सहकारिता मंत्री, सुभाष सिंह, पूर्व विधान पार्षद् केदारनाथ पाण्डेय, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, बस्टिन केरकेट्टा, सरायकेला-खरसावाँ जिला के छठ एवं मूर्ति कलाकार, नन्दलाल कुम्हार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित छठ गुरु, पंडित गोपाल प्रसाद दूबे, गाँधी पुरस्कार से सम्मानित, ईला घट्ट, टाटा स्टील के पूर्व एम.डी., जे.जे. ईरानी, टोयोटा कारोबारी, विक्रम किलोस्कर, वरिष्ठ लेखक, डॉ० मैनेजर पाण्डेय, हिन्दी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, विक्रम गोखले, मशहूर अभिनेत्री, तबस्सुम, प्रख्यात् हास्य कलाकार, राजू श्रीवास्तव, गुजरात के मोरनी शहर में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से हुए हादसे में मृत व्यक्तियों, राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 के दो पायलटों की हुई मौत तथा अरुणाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में चार सैनिकों की हुई मृत्यु की दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरी शोक-संवेदना व्यक्त की गयी तत्पश्चात् पुकारे जाने पर सदन नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय सदस्य, सर्वानीषी प्रदीप यादव, डॉ० लम्बोदर महतो, विनोद कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, सरयू राय एवं माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव द्वारा भी भृतात्माओं के प्रति शोक-संवेदनायें व्यक्त की गयी। इसके उपरांत दो मिनट का मौन रखा गया और सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-20.12.2022 के 11.00 बजे पूर्वांत तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 19 दिसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।